निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सानी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 571/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती सरजू देवी पत्नी स्व॰ भैरूराम जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फारट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर।
2. कैलाश चन्द पुत्र स्व॰ नारायण
3. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व॰ नारायण
4. सन्ती देवी पुत्री स्व॰ नारायण
5. मालीराम पुत्र स्व॰ हनुमान
6. रामकरण पुत्र स्व॰ हनुमान
7. लाला पुत्र किशना
8. रामकुंवार पुत्र स्व॰ भूरया
9. पप्पू पुत्र स्व॰ रामकुंवार
10. मदनलाल पुत्र स्व॰ रामकुंवार
11. श्रीमती नान्छी देवी पत्नी स्व॰ लक्ष्मीनारायण
12. कमली पुत्री स्व॰ लक्ष्मीनारायण
13. फुली पुत्री स्व॰ लक्ष्मीनारायण
14. सांवरमल पुत्र स्व॰ लक्ष्मीनारायण
15. सुरेश पुत्र स्व॰ लक्ष्मीनारायण
16. रमेश कुमार पुत्र स्व॰ सुरजमल
17. मुकेश कुमार पुत्र स्व॰ सुरजमल
18. श्रवण कुमार पुत्र स्व॰ भूरया
19. अर्जुनलाल पुत्र स्व॰ भूरया
20. भगवानसहाय पुत्र स्व॰ भूरया
21. बाबूलाल पुत्र स्व॰ भूरया
22. कालूराम पुत्र नारायणलाल
23. मंगलचंद पुत्र नारायण

    समस्त जाति जाट, निवासी जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध सहायक कलक्टर (फारट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 285/6/94 उनवानी सरजू देवी बनाम भूरया व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः

1. श्री सुमन कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बनवारी कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8, 9, 16, 18 से 20 एवं 23 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04.09.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 285/6/94 व-उनवानी सरजू देवी बनाम भूरया व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 8, 9, 16, 18 से 20 एवं 23 की ओर से अभिभाषक श्री बनवारी कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। प्रार्थीया द्वारा विभाजन का वाद कब्जे अनुसार विभाजन हेतु पेश किया गया जिसमें साक्ष्य सबूत लिये जाने के बाद प्राथमिक डिक्री जारी की गई उसमें भी तहसीलदार चौमू को यह आदेश जारी किया गया कि कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करें। प्रार्थीया एक बुजुर्ग महिला है तथा कानून पर विश्वास रखती है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 23 राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है, तथा स्थानीय विधायक के रिश्तेदार है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण संख्या 2 से 23 राजनैतिक प्रभाव का गलत उपयोग करते हुये तहसीलदार चौमू पर अनावश्यक रूप से राजनैतिक दबाव से जिस जगह प्रार्थीया काबिज है उसकी विभाजन प्रस्ताव में अपने हिस्से में दर्शा लिया है जबकि प्रार्थीया अपने क्रय की दिनांक से ही मौके पर काबिज काश्त है तथा मौके अनुसार प्रार्थीया की कृषि भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में हो चुकी थी उसके पश्चात राजस्व कर्मचारियों की गलती से वर्तमान नक्शे में तरमीम होने से रह गई। दिनांक 25.07.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 से 23 प्रार्थीया के निवास स्थान पर आये और धमकी दी कि हमने आपके कब्जे काश्त की कृषि भूमि को हमारे हिस्से में लेने के लिये हमने आपके कब्जे काश्त की भूमि को हमारे हिस्से में लेने के लिये हमने तहसीलदार चौमू से बातचीत कर ली है तथा पीठासीन अधिकारी भी हमारे जान पहचान वाले अधिकारी है तथा स्थानीय विधायक हमारे रिश्तेदार है, तू ये कब्जा खाली कर के चली जा वरना हम लठ के जोर से पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव से हमारे पक्ष में तकासमा करवाकर कब्जा प्राप्त कर लेगें। जिस पर प्रार्थीया ने यह बात अपने पुत्र को बताई जिस पर प्रार्थीया के पुत्र ने अधिवक्ता से बात की तो अधिवक्ता ने यह कहा कि उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी डे टू डे की तारीख पेशी दे रही है तथा दिनांक 29.07.2025 को प्रार्थीया के अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि प्रार्थीया एक बुजुर्ग महिला है व उनका स्वास्थ्य खराब है जिस कारण से आपत्ति कुरैंजात पर हस्ताक्षर नहीं हो सके तथा मुझे उक्त पत्रावली में आपत्ति कुरैंजात पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दी जाये। किन्तु पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 2 से 23 के दबाव के कारण प्रार्थीया के अधिवक्ता को कुरैंजात आपत्ति पेश करने हेतु समय ना देकर सीधे ही बहस करने का दबाव बनाया गया। पीठासीन अधिकारी ने आपत्ति कुरैंजात पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया एवं पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर प्रार्थीया के वादग्रस्त भूमि में निहित उसके एक हिस्से की भूमि से महरूम करने व उसके कब्जे से बेदखल करने के आशय से कुरैंजात आपत्ति हेतु अवसर नहीं दिया जा रहा है। दिनांक 02.07.2025 को भी पीठासीन अधिकारी द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रार्थीया को स्थगन आदेश खारिज करने बाबत कहा गया जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीया की बहस भी नही सुनी गई व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 का जवाब भी पेश करने हेतु अवसर भी नहीं दिया गया और ना ही उस पर बहस सुनी गई। उसके बावजूद भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीया का स्थगन आदेश खारिज करने बाबत कहा गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 23 द्वारा प्रार्थीया को यह कहा गया कि पीठासीन अधिकारी हमारी मिलने वाली है, हमने उससे सांठ–गांठ कर ली है तथा हम अपने मर्जी से मनमुताबिक उक्त वाद डिक्री करवाकर तुझे कब्जे से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतो से पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय करवा देगें तो वे अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थीगण संख्या 8, 9, 16, 18 से 20 एवं 23 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है कि प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, परंतु न्याय किया जा रहा है, ऐसा लगना भी चाहिए, अतः न्यायहित में मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर (फ़ास्ट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 285/6/94 ब–उनवानी सरजू देवी बनाम भूरया व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को स्थानान्तरित किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner